and Central Services (Kothari Committee Report). [*Placed in Library. See* No. LT-1355/77].

PHOTOSTAT COPY OF TELEPRINTER MESSAGE FROM KERALA CHIEF MINISTER TO PRIME MINISTER, ETC. *re.* DAMAGE FROM CYCLONIC STORM

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): I beg to lay on the Table, in pursuance of the direction given by the Speaker on the 7th December, 1977, a photostat copy of the endorsement addressed to the Ministry of Irrigation of Teleprinter Message dated the 23rd November, 1977 from the Chief Minister of Kerala to the Prime Minister of India regarding damage due to cyclonic storm. [*Placed in Library. See* No. LT-1356/77].

12.04 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED ARMED RAID ON A RESIDENTIAL BUNGALOW IN NEW DELHI

श्री विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण-दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें:—

> "नई दिल्ली के बीचों-बीच एक रिहायशी बंगले पर सशस्त्र हमले के समाचार जिसके परिणामस्वरूप दो व्यक्ति मारे गये और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही।"

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI DHANIK LAL MANDAL): Sir, It is a matter of regret that a heinous crime was committed at No. 1, Southend Road, New Delhi, in which two persons were killed and one received serious injuries. According to the Delhi Police some unidentified persons intruded into the house of one Shri Puran Chand Sawhney at Southend Road on the night between 11/12-12-77 and attacked with some blunt object his chowkidar, Roop Singh, maid servant, Amaro Devi and wife Smt. Mohini Sawhney. As a result of the injuries the chowkidar, Roop Singh died on the spot, the maid servant Amaro Devi later succumbed to injuries in Willingdon Hospital while Smt. Sawhney is still admitted in All-India Institute of Medical Sciences with head injuries. Preliminary investigations have revealed that the intruders entered the house after breaking open the glass pane of the drawing room and went to the dining room where the maid servant was sleeping and attacked her after pursuing her to the pantry where she fell unconscious. They ransacked the rooms of the house. Smt. Sawhney was found lying unconscious in the dining room where she had apparently switched on the siren which blew for a few seconds before it was switched off by the culprits. On hearing the siren some servants from the adjoining servant quarters came in but in the meantime, the culprits seem to have escaped. The servants informed the police and the son of Shri Sawhney on telephone. SHO Tughlak Road accompanied by his staff immediately reached the spot and started the investigation. Soon after the DIG, S. P. and Addl. S. P. also reached the spot. The Dog Squad and the C.F.S.L. Experts were also summoned. The investigation of the case have been entrusted to a Special Squad of the Crime Branch. So far no arrests have been made.

[Shri Dhanik Lal Mandal]

2. Following measures have been taken to prevent occurrence of such incidents:—

(i) Patrolling has been intensified particularly in the crime affected areas.

(ii) General *Gasht* is being done in various districts with an element of surprise for criminals by changing its timings and dates.

(iii) Pickets are being detailed at vulnerable points as a preventive measure.

(iv) Externment proceedings are being stepped up against known criminals and District S.S.P. are paying personal attention to this.

(v) Drive against goondas, ruffians and other anti-social elements are being carried out from time to time.

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जब हिन्दी में सवाल पूछा जाए तो उसका उत्तर भी हिन्दी में आना चाहिए। यहां पर जो वक्तव्य दिया गया वह अंग्रेजी में पढ़ा गया, उसका हिन्दी उत्तर हमें नहीं मिला। मैं आशा करता हूं कि आगे से वह इसका उत्तर हिन्दी में देंगे तो अधिक अच्छा होगा ।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अन्दर यह जो हत्याकाण्ड हुआ है इसका कुछ विशेष प्रभाव है और इसका कुछ विशेष आधार है। दिल्ली के अन्दर प्रति मास आज कल 16-17 हत्याएं होती हैं परन्तु जिस इलाके में यह हत्या हुई है उसमें पिछले 15-20 महीने में कोई हत्या देखने में नहीं आई है। यह वही इलाका है जहां हमारे मंत्रीगण और संसद सदस्य रहते हैं। दूसरे भी महत्वपूर्ण लोग रहते हैं। इस इलाके में पिछले कुछ महीनों के बाद यह पहली बार क्राइम हुआ है और अध्यक्ष महोदय, जिस जगह पर वह हुआ है वहां दस, साढ़े दस बजे रात तक तो ट्रैफिक चलता रहा है और इतना ट्रैफिक चलता है कि सड़क पार करना मुश्किल होता है।

जिस मकान में यह हत्या हुई है, वहां लाइट जल रही थी, चौकीदार बैठा हुआ था। वहां शीशा तोड़ कर हत्यारे अन्दर घुस गये। जिस हथियार का उन्होंने उपयोग किया, वैसा हथियार भी कभी पहले की हत्याओं में इस्तेमाल नहीं किया गया। लोहे की छड़ जो आम बजारों में बनती है, उससे ये हत्याएं की गयीं। इससे लोगों में आतंक फैल गया है और वे कहने लगे हैं कि जब ऐसी जगह पर ये हत्याएं हो सकती हैं तो दूसरी जगहों पर सुरक्षा कैसे होगी। इसलिए इस आतंक के बारे में विचार करने की जरूरत है ।

अध्यक्ष महोदय, जिस वक्त उस मकान में अलार्म बजा तो उस घर के नौकर और पुलिस के सिपाही भी अन्दर थे लेकिन कोई आदमी उस कमरे के अन्दर नहीं गया। अलार्म बजने के एक घंटे या पौन घंटे बाद वे लोग अन्दर गये। और इस बात का इंतजार करते रहे कि रिवाल्वरों वाले पुलिस के सिपाही आ जाएं फिर अन्दर जाएं। मैं समझता हूं कि कोई बेहतर इंतजाम करने की जरूरत है।

यह भी मंत्री जी ने बताया हैं कि कुछ गुंडों को दिल्ली से बाहर निकालने की कार्रवाई की जा रही है। अब आप देखें कि दिल्ली की आबादी हर साल दो लाख के हिसाब से बढ़ती जाती है, दो लाख आदमी हर साल बाहर से दिल्ली में आ जाते हैं। उनका कोई वैरिफिकेशन नहीं होता है उसका कोई इंतजाम नहीं है । इस

वास्ते पता ही नहीं चल पाता है कि किस तरह के लोग दिल्ली में आ रहे है । इससे भी लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाती है । दिल्ली में खास तौर पर घरेलू कर्मचारियों की वजह से बहुत से कांड हुए हैं । अब उत्तर प्रदेश सरकार ने वेरिफिकेशन करने से इनकार कर दिया है और वह इस काम के लिए पैसे मांगती है जब कि दिल्ली के लोग पैसे दे नहीं सकते हैं । नेपाल गवर्नमेंट के साथ भी कोई समझौता इसके बारे में नहीं है जिससे वेरिफिकेशन हो सके । इस तरह के जो लोग आते हैं और जिनका वेरिफिकेशन होना चाहिये, मालूम होना चाहिये, पता होना चाहिये कि किस तरह के लोग वे हैं, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं और क्या आप इसको देखेंगे कि उनका वेरिफिकेशन हो ?

दिल्ली की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है । उस पर क्या आपका किसी तरह का कोई चैक लगाने का खयाल है ? यह ठीक है कि दिल्ली भारत की राजधानी है और कांस्टीटयूशन के मुताबिक भारतवर्ष के किसी भी भाग से कोई भी आदमी दिल्ली आने के लिए फ्री है । दिल्ली में लोग सर्विस करने के लिए आएं, नौकरी करने के लिए आएं, व्यापार करने के लिए आएं इस में किसी को कोई ऐतराज़ नहीं हो सकता है । लेकिन आ करके कहीं भी झुग्गी डाल कर बैठ जाएं तो यह तो ठीक नहीं है । वहीं से सब क्राइम हो रहे हैं । कई लाख आदमी इस तरह से आ कर फुटपाथ पर बैठ जाते हैं और क्राइम करके चले जाते हैं । इस चीज को भी आपको देखना चाहिये ।

क्या एडमिनिस्ट्रेशन इस पर विचार कर रहा है कि इस तरह के लोग जो यहां पर आ जाते हैं उन पर किसी तरह का आने से पहले चैक हो, नौकरी या कोई दूसरी चीज हो तो वे आएं लेकिन क्राइम करने वाले लोग दिल्ली में आकर क्राइम करते चले जाएं उस पर तो कोई रोकथाम लगनी चाहिये । इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं ?

माडरनाइजेशन का सवाल भी इससे जुड़ा हुआ हैं, क्राइम्ज़ को डिटैक्ट करने का सवाल भी इससे जुड़ा हुआ हैं । कोई वाकी टाकी नाम की चीज़ हमारे पुलिस के आदमियों के पास नहीं है और इसके न होने की वजह से जो लोग जाते हैं उनको इनफार्म नहीं किया जा सकता है, उसके पीछे जाना पड़ता है, गाड़ी ले जानी पड़ती है । इससे क्राइम की तफतीश में बहुत देर लग जाती है । इसी तरह से फोरेंज़िक लैबोरेटरी का मामला भी है, लेटेस्ट इक्विपमेंट का मामला भी है । ये सब चीजें होनी चाहिये जो आज उसके पास नहीं है । क्या आप इसकी तरफ भी ध्यान दे रहे हैं ?

यह ठीक है कि क्राइम सिचुएशन में कुछ फर्क हुआ है । 1977 में 132 मर्डर हुए थे जिनमें से 86 सार्ट आउट हो चुके हैं 65 परसेंट का पता लगाया जा चुका है लेकिन 35 परसेंट का पता ही नहीं लगा है, वे मर्डर केसिस साल्व ही नहीं हुए हैं । क्या उसकी वजह से भी सिचुएशन खराब नहीं होती है ।

होम मिनिस्टर ने एश्योर किया था हाउस को कि पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति होगी । कमिश्नर का जो सैट अप होना था वह काफी लेट हो गया है । दो अक्तूबर को वह होना था, अभी तक नहीं हुआ है । इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं ?

आपने यह भी कहा था कि पुलिस फोर्स को इनक्रीज़ किया जाएगा । इसके बारे में भी आपने स्टेटमेंट दिया था । वह भी अभी नहीं हुआ है । मैं जानना चाहता हूं कि इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं ?

आपने यह भी कहा है कि बहुत से लोगों को बाहर भेजा है । साथ ही डी०एस०पी० के लेवेल के लोगों के ट्रांसफर किए गए हैं । लेकिन अभी भी मैं समझता हूं कि दिल्ली की पुलिस

[श्री विजय कुमार मल्होत्रा]

फोर्स को ठीक करने की जरूरत है । इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं ?

हाई कोर्टस को भी कहने की जरूरत है कि नीचे की कोर्टस में जो ला एंड आर्डर के केसिस हैं वे बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, पैंडिंग पड़े हुए हैं, उनको कैसे निपटाया जा सकता हैं ।

जो मर्डर हुआ है इससे दिल्ली में आतंक छा गया है । मैं समझता हूं कि इसके बारे में पब्लिक को सांत्वना देने की जरूरत है। इसके बारे में होम मिनिस्टर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, यह मैं जानना चाहता हूं ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : मर्डर कहीं भी होगा तो लोगों को परेशानी होगी । मर्डर होते रहेंगे, रुकेंगे नहीं । हर घर पर पुलिस मुकर्रर नहीं की जा सकती है । सिर्फ यह है कि आम तौर पर क्राइम्ज़ न बढ़ें। उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है ? थोड़ा सा पहले बयान इसका कर भी दिया गया है । आपने कुछ कमिश्नर की तरफ इशारा किया है । यह एलान हो गया था कि दो अक्तूबर से पुलिस कमिशनर की नियुक्ति हो जाएगी । मेरा खयाल यह था कि यह काम एक आर्डिनेंस जारी करने से हो जाएगा । लेकिन बाद में ला डिपार्टमेंट की यह राय हुई कि इसमें डेढ़ सौ क्लाज़ेज का बिल लाना पड़ेगा । तो इतना लम्बा आर्डिनेंस लाना मुनासिब नहीं होगा । अब वह बिल तैयार हो रहा है और ला डिपार्टमेंट में गया हुआ है । वहां से आ गया होगा तो सेक्रेटेरियट लेविल पर होगा । मुझे बताया गया कि अभी आया नहीं है । डेढ़ सौ क्लाज़ेज का बिल मामूली चीज़ नहीं है । हमारी तरफ से कोई कमी नहीं हैं, लेकिन लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने में समय लगेगा ।

माननीय सदस्य ने कहा कि वह जगह ऐसी थी जहां आज तक क्राइम नहीं हुआ । यह तो मुझे नहीं मालूम कितने क्राइम हुए, लेकिन वह एक निर्जन स्थान है इस माने में कि वहां बंगले ही बंगले हैं । तो वहां पर कंजेस्टेंड पौपुलेशन नहीं है । सबसे कम लोग वहां चलते हुए मिलेंगे इस इलाके में और तुगलक रोड पर। फिर किस वक्त जुर्म हुआ मुझे ऐग्जेक्टली मालूम नहीं है । लेकिन 1 या डेढ़ बजे पुलिस पहुंच गई, नेशनल फोरेन्सिक लेबोरेटरी के ऐक्सपर्ट पहुंच गये और डौग स्क्वायड पहुंच गया । इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि पुलिस की तरफ से कोई कोताही थी । माननीय सदस्य ने बाकी टाकी का जिक्र किया, यह लफ्ज मैंने पहली बार सुना है, अब अगर यह मुमकिन है और सरकार के पास फंड्स है और पार्लियामेंट फंड प्रोवाइड कर सकती है तो बाकी टाकी ही नहीं बल्कि और भी जो ऐक्विपमेंट हो सकते हैं वह करने में दिक्कत नहीं होगी ।

रही पुलिस की तादाद बढ़ाने की बात तो हमको मालूम हुआ है कि पौपुलेशन के लिहाज़ से बम्बई में पुलिस कम है बमुकाबले दिल्ली के । लेकिन फिर भी हम उसके बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं । लेकिन वित्त विभाग की तरफ से अगर यह एतराक़ हुआ कि बम्बई में इतनी पुलिस नहीं है जितनी आप दिल्ली के लिये चाहते हैं तो हमको जवाब देना पड़ेगा ।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : दिल्ली में वी० आई० पी० बहुत आते हैं ।

श्री चरण सिंह : बम्बई में रुपये वाले वी० आई० पी० बहुत हैं ।

आपने बाहर से आने वाले लोगों के बारे में कहा तो दिल्ली में हर साल लाखों आदमी आते होंगे, हर साल 2 लाख आबादी बढ़ रही है । मुझे नहीं मालूम कि इसमें नेचुरल ग्रोथ कितनी है ? 50,000 तो जरूर हर साल बढ़ रही होगी । फिर भी डेढ़ लाख आदमी दिल्ली में बाहर से आते हैं।

अब इतनी बड़ी तादाद का वेरिफिकेशन कराने के लिये कितना बड़ा दफ्तर कायम करना होगा ? मैं नहीं समझता कि वह चीज़ मुमकिन है । और अगर मुमकिन होगा तो सरकार आई० जी० और एल० जी० से मिल कर मश्विरा करेगी और अगर मुमकिन हुआ तो करेंगे ।

एक बात और कहना चाहता हूं, जो माननीय मित्र ने कुछ माना है और कुछ नहीं माना है, और वह यह है कि आम तौर पर यह इम्प्रैशन है कि दिल्ली में क्राइम बहुत बढ़ रहा है और जनता सरकार और होम मिनिस्टर फेल हो गये । ऐसी मैंने बहुत चर्चा सुनी है । अगर आप इजाज़ज दें तो मैं मित्रों से कहूंगा कि एक, दो मर्डर पर काल अटेंशन अगर किया तो काम चलेगा ? दो मर्डर हो गये देहली में तो आप उसको कंडेम कीजिये, यह आपको हक है । लेकिन मुझे शिकायत है । अध्यक्ष महोदय, 1970 में सरकार ने यह आर्डर जारी किये कि बजाय जुर्म छुपाने के, इस ख्याल से कि पुलिस को परेशानी होगी या इतनी पुलिस नहीं है, तो बेहतर यह है कि हर जुर्म रेकार्ड किया जाये । वह बहुत अच्छा था और हमने यू० पी० में भी यही किया था । तो इसके बाद यह हुआ 17,000 जुर्मों की तादाद दिखायी जाती थी 1967 से ले कर 1969 तक, 31,000 1970 में 29,000, 1971 में 32,000, 1972 में 34,000, 1973 में और फिर वही 34,000 के करीब 1974 में । तो 1974 के बेस ईयर लेकर मैं चलता हूं । उसके बाद 1975–76 में कितने जुर्म हुए, कितने नहीं हुए, दर्ज करने का कोई सवाल ही नहीं है । अगर 1974 से कम्पेयर करें तो डैकेती में, रायट्स में, हर्टस में, बर्गलरी में, यानी डकैती, बलवा और चोट वगैरह लगने में और नकदजनी में इसमें क्राइम कम हुए हैं, मसलन डकैती 1974 में 25 पड़ीं और अबकी बार 14 पड़ी हैं । बलवे 260 हुए थे उस समय और अब 10 महीने में 118 हुए हैं । तब 1502 लोगों को चोट आई थी और अब 1322 को आई है । बर्गलरी 2300 थीं, अब 2100 हैं । मर्डर 146 थे अब 145 हैं, ज्यों के त्यों हैं । अटैम्प्ट टू मर्डर तब 225 थे और अब 171 हैं । राबरी 206 थीं और अब 277 हैं । जो कि बढ़ी हैं । स्नैचिंग आफ चेन, जेवर छीनने की घटनाएं हो रही हैं । मैंने आई० जी० से पूछा कि क्या मामला है, क्यों स्नैचिंग बढ़ रही है । तो मालूम हुआ कि सोने की कीमत बढ़ रही है, बदमाश लोगों को ज्यादा इस से लालच हो गया है । चोरी भी बढ़ रही है । मर्डर का 34 या 36 परसेंट ही वर्क आउट हुआ है । मेरे दोस्त का यह कहना कि 65 परसेंट वर्क आउट हुआ है तो यह बड़ी खुशी की बात है, दिल्ली वाले बड़े खुशकिस्मत है । सारे हिन्दुस्तान का जो मुझे मालूम हुआ है, 26 परसेंट मर्डर वर्कआउट हुआ है । अब रही मुंडों को बाहर भेजने की बात । जो गलत लोग हैं, उनमें से 400 केसेज़ मजिस्ट्रेट के यहां पैंडिंग हैं, उनको नोटिस जारी करना पड़ता है । लेकिन 100 में एक्शन कम्पलीट हो चुका है और उनको बाहर भेजा जा चुका है ।

जो आदमी गलती करता है, बेईमानी या स्नैचिंग करता है तो वह दोस्तों से मशवरा करके करता है । जिस लोकैलिटी में करता है, जेवर छीनता है, उसकी सरांउडिंग्ज को जानता है । जो आदमी यहां नया आता है, वह 2, 4 साल तक कुछ कर ही वहीं सकता है । अभी हमने उनसे यह कहा है कि 300 पैंडिंग केसेज़ मजिस्ट्रेसी के पास हैं और और भी कुछ केसेज आई० जी० का भेजने का का इरादा है कि जिन लोगों को एक्सटैंड किया जाये । हो सकता है कि उसके लिये मजिस्ट्रेटस की तादाद बढ़ानी हो । यही मुझे जवाब में अर्ज करना है ।

SHRI SAUGATA ROY (Barrackpore): I strongly differ from the Home Minister when he says that on the question of two murders the gov-

[Shri Saugata Roy]

ernment should not be put on the dock. It is just because two murders have hapened in an important area and persons concerned are important and the newspapers have given them a lot of publicity that this call attention had been admitted. In Greater Kailash a journalist called Duggal was hacked to death and the people are unhappy that no police picket had been posted there. It is not a question of two murders, it is a question of breakdown of general law and order which is symptomatic of the janata rule in this country. From April to October this year in Delhi where you are living, we are all Living, there had been 12,000 thefts, 16 dacoities, 1550 burglaries and 122 murders and the Home Minister himself admitted, a number of cases of snatching of chains since the price of gold had gone up. The law and order situation is slowly deteriorating, first it was Bihar and then Belchi and Barhya and then it was U.P., riots in Banaras, Kanpur and Lucknow and now things have come to Delhi which is under the direct control of the Home Minister and the law and order situation is deteriorating like anything. What is the main reason? Why inspite of all the police, all the VIP including the Home Minister staying in Delhi, thefts and murders could not be stopped? It is because in Delhi most of the policemen are posted for VIP duties. In May the Prime Minister promised that police bandobust to VIPs, lining of routes, guarding their houses, standing at their entrances would be stopped. It had not been done. I want to ask the Home Minister whether any number of policemen had been shifted from VIP duties to guarding the ordinary citizens and if so how many? Has the government any proposal to shift policemen from VIP duties to guarding ordinary citizens?

श्री चरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि माननीय मित्र ने यह जो कहा है कि कुछ पुलिसमैन और आफ़िसर्ज को वी० आई० पी० की ड्यूटीज में अपना समय लगाना पड़ता है, वह ठीक है । लेकिन वह भी एक जरूरी चीज है । मैं कोई सीक्रेट नहीं खोल रहा हूं---कोई भेद की बात नहीं कह रहा हूं कि पुलिस आफिसर्ज का मश्वरा यह है कि सिक्युरिटी का जितना तकाजा है, उसके लिए जितनी जरूरत है, मेरे साथी उतने पुलिस पर्सनेल लेने के लिए तैयार नहीं हैं । हम लोगों ने इस बारे में आपस में मश्वरा किया । मेरे साथी ज्यादा पुलिस पर्सनेल लेने के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि उनके पास जो कुछ है, वे उसे कम करना चाहते हैं । उधर पुलिस एथारिटीज का इसरार, आग्रह और दबाव यह है---अगर वे मिनिस्टर पर दबाव डाल सकते हैं---कि इस में मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को दखल नहीं देना चाहिए, यह हमारी जिम्मेदारी है । लिहाजा उन्होंने इस बारे में फिर लिखा है । मैंने अपने साथियों को एक पर्सनल लेटर लिखा है कि जब वे बाहर जायें, तो वे अपने साथ जरूरी पुलिस को लेकर जायें । उस लैटर के एग्जेक्ट लफ्ज तो मुझे याद नहीं हैं, लेकिन उसका मंशा यह है कि सिक्युरिटी के लिए उनके पास जितनी पुलिस है, और जितनी होनी चाहिए---जिससे वे इन्कार कर रहे हैं---इस पर वे पुनर्विचार करें। यहां यह आइडिया कनवे करने की कोशिश की गई है कि मिनिस्टर्ज की सिक्युरिटी के लिए हम बहुत ज्यादा पुलिस अफसरों को लगाये हुए हैं । (**व्यवधान**)

पिछले सवाल के जवाब में मैं एक बात को कहना भूल गया । जो फिगर्ज मैंने दिये वे 1974 के है । आज आबादी उस समय से छः लाख ज्यादा हो गई है । इस वक्त कुछ जुर्म कम हुए हैं और कुछ जुर्मों की तादाद उतनी है, जितनी कि पहले थी। अगर छः लाख आबादी बढ़ने का एलाउंस दें, तो सभी जुर्म बहुत घट गये हैं । जहां तक जुर्मों का सम्बन्ध है, वे तो होते हैं, और होते रहेंगे ।

मैं तो चाहता हूं कि एक भी जुर्म न हो, लेकिन मेरे चाहने से तो यह नहीं होगा। जो दुनिया में कहीं भी ऐसी सिचुएशन नहीं आई है कि जुर्म होने बन्द हो गये हों। सुनते हैं कि चन्द्रगुप्त मौर्य के जमाने में वे कम थे।

MR. SPEAKER: There will be no lunch hour today and hereafter.

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो घटना हुई है, वह काफी गम्भीर है। मंत्री महोदय ने कुछ आंकड़े दिये हैं, जिन के द्वारा यह बताने की कोशिश की गई हैं कि जुर्म पहले से कम हो गये हैं। मैं आंकड़ों में नहीं जाता, क्योंकि ज्यादातर आंकड़े बनाए जाते हैं। लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मंत्री महोदय द्वारा व्यक्तिगत रुचि लेने के कारण ला एंड आर्डर सिचुएशन में पहले से कुछ इम्परुवमेंट हुई है। यह बात मैं आंकड़ों के आधार पर नहीं कहता हूं, परन्तु जो लोग मिलते हैं, उन का कहना है कि पहले के मुकाबले में एक सेन्स आफ़ सिक्युरिटी पैदा हो गई है। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि इस बारे में मापदंड एक ही है कि जब तक आप लोगों में पूरी सेंस आफ सिक्युरिटी न आ जाये, तब तक हमें यह नहीं समझना चाहिए कि हमारी ला एंड आर्डर सिचुएशन ठीक है। उस दृष्टि से अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

गृह मंत्री ने सितम्बर में कहा था कि दिल्ली में पुलिस की संख्या छः हजार और बढ़ाई जायेगी और 200 घुड़सवार हो जायेंगे। उन्होंने और भी बातें कही थीं। खोसला कमीशन की रिपोर्ट दस साल पहले आई थी। उस की रीकमेंडेशन्ज में एक मापदंड बनाया गया था कि यहां पर कितने पुलिस के आदमी चाहिएं। उस के हिसाब से बहुत होने चाहिएं लेकिन आप ने उस में से कम कर के हमारी मीटिंग में 6 हजार कहा मगर अभी तक उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। दिल्ली में करीब 10 लाख आबादी ऐसी है जिस को पुलिस कैटर ही नहीं करती। एक थाना है शहादरे के अन्दर गांधी नगर का उस के नीचे 5 लाख की आबादी है। किंग्सवे कैम्प थाने के अन्दर ढाई लाख की आबादी है। मैं आप से पूछना चाहता हूं किस तरह से वे कैटर कर सकते हैं। ह्यूमैनली पासिबल नहीं है। तो पहली बात तो मैं यह कहना चाहता कि माननीय मंत्री जी ने जो कहा था उस को वह अपना व्यक्तिगत दबाव डालकर पूरा करें।

दूसरी बात—यहां पर बहुत सारे डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं 1 लाख के करीब। पुलिस को कहा गया वेरीफाइ करने के लिए, वह कर भी देते है, लेकिन उस की वजह से काफी जुर्म होते हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या आप ऐसा इंतजाम करेंगे कि ये लोग नौकर रखते हैं उन के लिए कम्पल्सरी होगा कि वे लोग जो डोमेस्टिक नौकर रखें उस को पहले पुलिस में रेकार्ड कराएं, अगर नहीं कराएं तो उन को सजा दी जाये क्यों कि उस के कारण से काफी जुर्म होते हैं।

तीसरी चीज यह है कि यहां पर बहुत सारे गेस्ट हाउसेज हैं जैसे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का है, साठे जी को मालूम है, वहां पर बहुत सारे इम्मारल ऐक्ट्स होते हैं। मैं यह चाहूंगा कि इन सब गेस्ट हाउसेज के ऊपर पुलिस ठीक तरह से निगरानी रखे और उन को कंट्रोल करने के लिए आप कोई कानून बनाएं।

एक चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्वेस्टिगेशन और ला ऐंड आर्डर की मशीनरी दोनों अलग-अलग होनी चाहिए, इस के बारे में आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

दूसरी चीज यह हैं कि पंजाब पुलिस रूल्स यहां दिल्ली में लागू हैं और वह रूल्स 1872 में बने थे।

Sir, these rules were framed in 1872 and they are in force even now. You will be surprise to know that on of

[श्री कंवर लाल गुप्त]

the rules says that if you seize any arms in Delhi, it should be deposited in Lahore. It is there in the rule even now, even though it looks funny. It is mentioned in the Punjab Police Rules, because they are the old rules which have not been changed so far. Then, if you catch hold of a cobra, kill it and hand it over to the police station, you will be given a prize of four annas. Will the Minister consider changing these rules, which are out-dated and out-moded, and have new rules for the Delhi Police?

श्री चरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आप के जरिए माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि सांप पकड़ने पर इनाम रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए ? बिल्कुल हटा देना चाहिए या रहे तो दो रुपया, रहे ढाई रुपया रहे, कितना रहना चाहिए? मुझे मालूम नहीं है कि पंजाब पुलिस रूल्स यहां नाफिज हैं, यह मुझे आज इत्तिला मिली है, मैं इस को डिस्कस करूंगा और अगर नये रूल्स की आवश्यकता होगी तो उस के बारे में या पुराने रूल्स किसी कानून की मजबूरी की वजह से रहते हैं तो उन में कोई संशोधन वगैरह करने की आवश्यकता होगी तो उस को डिस्कस करूंगा ।

आप ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन और ला ऐंड आर्डर की एजेंसी अलग-अलग रहनी चाहिए तो हम ने पुलिस कमीशन बैठा ही दिया है, उस की रेकमेंडेशन जो होगी वह सारे देश के लिए होगी, उस के आने पर उस पर विचार करेंगे ।

आप ने कहा कि खोसला कमीशन की रेकमेंडेशन बहुत पहले की है, तो वह पुलिस कमीशनर एप्वाइंट करने की थी, आप को मालूम है कि उस का डेसीशन हम ले चुके हैं उस के एप्वाइंटमेंट का, उस के लिए बिल तैयार हो रहा है ।

एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहता हूं । एक प्राबलम दिल्ली की यह है कि दिल्ली का एक कैडर है और पुलिस अफसर का ट्रांसफर दिल्ली से दिल्ली में ही होता हैं । अब हरयाणे का हो तो रोहतक से चंडीगढ़ हो जायेगा, अम्बाले से सोनीपत हो जायेगा । यहां दिल्ली में जो ट्रांसफर होगा अफसर का वह दिल्ली से दिल्ली में हो होगा । सब-इंस्पेक्टर या डी एस पी—सभी का यही हाल है ।

13 hrs.

चौधरी ब्रह्म प्रकाश (बाह्य दिल्ली) : दिल्ली को बड़ा बनाइये ।

श्री चरण सिंह : दिल्ली को बड़ा बनाने के लिए आप तैयार नहीं होंगे क्योंकि आपकी शान घट जायेगी । आपको यू०पी० से मिलना चाहिए या हरियाणा से । दिल्ली वाले चाहते है कि दिल्ली राजधानी है लेकिन उसी तरह का सूबा बने जिस तरह से और सूबे हैं ।

तो मैं कह रहा था कि यह भी विचार करना है कि यहां आफिसस का जो कैडर है क्या वह दिल्ली तक सीमित रहेगा । अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन करने का एक साधन यह होता हैं कि जब कभी गवर्नमेन्ट महसूस करती है कि किसी अफसर की गलती है, वह गाफिल रहा है, वह एफीशिएन्ट नहीं है या उस जगह के लिए जितना तजुर्बा होना चाहिए वह उसके पास नहीं है तो ऐसे मामलों में अक्सर ट्रांसफर होते हैं । यहां दिल्ली में ट्रांसफर एक थाने से दूसरे थाने मे कर दीजिए लेकिन वे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं । तो यहां पर यह प्राब्लम है । एक बात मुझे और मालूम हुई है जोकि पहले मालूम नहीं थी कि यहां पर 22 आई पी एस आफिसर्स हैं जिनमें 17 यहीं के रहने वाले हैं । वे यहां पर ब्रह्म प्रकाश जी और कंवरलाल जी, सभी को जानते होंगे, जानने में कोई हर्ज नहीं है लेकिन उनके जानने का जो असर है वह सभी लोगों पर पड़ता है, और फिर उनके ताल्लुकात है, जान-पहचान है, रिश्तेदारियां हैं—मैं किसी को दोष नहीं देता क्योंकि सभी जगह यह है । आप देखें यू०पी० का मेरा जिला सबसे बड़ा

जिला था, वहां 1500 गांव हैं जिनकी आबादी 36 लाख है, वहां के किसी गांव के लड़के उस जिले में आई पी एस नहीं रह सकते जबकि उस जिले का 40 मील का डिस्टेंस है और यहां दिल्ली में 5 मील का डिस्टेंस है और 17 आई पी एस आफिसर यहां के रहने वाले हैं। तो यह प्राब्लम है जिसका क्या हल किया जाए। अगर गवर्नमेन्ट इस थाने से उस थाने का आर्डर दे दे तो वे आस्तीन में मुंह देकर हंसते होंगे कि इससे क्या होगा। तो यह प्राब्लम है जिसको हल करने की कोशिश की जा रही है।

श्री कंवरलाल गुप्त : मैंने पूछा था कि गेस्ट हाउस और डोमेस्टिक सर्वेन्ट्स के लिए कानून बनाया जाये जिससे कि इन्वेस्टिगेशन हो सके।

श्री चरण सिंह : यहां पर जो गेस्ट हाउस हैं उनमें केरल हाउस है, यू पी हाउस है, पंजाब हाउस है, हरियाणा हाउस है—अगर वहां पर पुलिस रहेगी तो आप देखें कि क्या शिकायतें आती हैं।

श्री कंवरलाल गुप्त : मेरा सवाल था कि जो प्राइवेट गेस्ट हाउस हैं जैसे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का पहाड़गंज में है जहां पर इम्मारल ऐक्ट्स हो रहे हैं उसके बारे में कुछ कानूनी व्यवस्था करेंगे और दूसरे डोमेस्टिक सर्वेन्ट्स की वजह से बहुत क्राइम्स होते है तो उसके लिए कोई कानून बनायेंगे ?

श्री चरण सिंह : कानून बनाने की जरूरत नहीं है। एग्जिस्टिंग ऐक्ट में ही पुलिस वेरिफिकेशन कर सकती है, ऐसा मेरा ख्याल है। दूसरी जगहों पर शायद होता रहा है। मैंने कहा कि मैं आफिसर्स से बातचीत करूंगा कि एक लाख आदमी जो बाहर से आ रहे हैं उनका वेरिफिकेशन कर सकते हैं या नहीं।

श्री लखन लाल कपूर (पुर्णियां) : मैं मंत्री जी से सहमत हूं कि आज की व्यवस्था में भारत का जो जनमोनस है उसमें कोई भी सरकार डकैती या हत्या को वैनिश नहीं कर सकती है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह हत्या जो दिल्ली शहर के बीच में हुई है उसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि उस क्षेत्र में मैं समझता हूं बीट सिस्टम है, रोड पर पुलिस पहरा देती है, साइकिल और मोटर पर पट्रोलिंग करती है। मंत्री जी ने कहा कि यह घटना रात को एक बजे हुई। लेकिन मुझे उस घटना के स्थान पर जाने का मौका मिला है, वहां के नौकरान और उन के रिश्तेदारों से भी बात करने का मौका मिला है। उन का कहना है कि साढ़े-दस और पौने-ग्यारह बजे रात में यह घटना हुई है। साउथ-एण्ड रोड के जिस बंगले में यह घटना हुई है, उस के सामने स्पेनिश दूतावास है, उस के बांई तरफ जर्मन जनवादी दूतावास है...

MR. SPEAKER: Don't go on describing the topography. Please come to the question.

श्री लखन लाल कपूर : मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि दिल्ली जैसे शहर में जहां आस पास मंत्रियों की कोठियां भी हैं, पुलिस की भी घनी व्यवस्था है—उस क्षेत्र में इस तरह से घर में घुस कर हत्या कर दी जाये और हत्या के बाद आज तीन दिन गुजर रहे हैं, तीन दिन में एक आदमी भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है—यह बड़े आश्चर्य की बात है।

जहां तक ला एण्ड आर्डर का प्रश्न है—जैसा मंत्री महोदय ने बतलाया कि यह कहने से काम नहीं चलेगा कि जब से जनता सरकार बनी है तब से ऐसा हो रहा है। यह ठीक है कि इस के पहले भी क्राइम्स होते थे, लेकिन पिछले आठ-नौ महीनों में क्या पोजीशन रही है—जहां तक मेरा ख्याल है, क्राइम्स की संख्या घटी नहीं है। आप देख लीजिये—अप्रैल से लेकर अक्तूबर तक 1200 चोरियां

[श्री लखन लाल कपूर]

हुईं, 1550 वर्गलरीज़ हुई, 122 हत्यायें हुई हैं—क्या यह चिन्ता का विषय नहीं है ? किसी भी समय सरकार के लिये यह लज्जा का विषय है कि इतनी बड़ी व्यवस्था के होते हुए भी आप उसको रोक नहीं पाते हैं । इसलिये मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं .....

MR. SPEAKER: You are making a speech; you come to the question. You are also imitating others. You are not the only person doing it. Please come to the question.

श्री लखन लाल कपूर : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का आश्चर्य है कि कोई-कोई सदस्य तो नियम के खिलाफ़ आधा घंटा बोलते रहते हैं और मैंने अभी दो मिनट भी नहीं लिया कि आप मुझे रोकना चाहते हैं । मैं प्रश्न ही पूछना चाहता हूं । यह घटना तुगलक रोड थाने के एरिया में हुई है या जिस थाने के एरिया में ऐसी घटना होती है, बावजूद इतनी व्यवस्था के, क्या मंत्री महोदय वहां के सम्बन्धित अधिकारी को मोअत्तिल करके कार्यवाही करेंगे ? भविष्य में दिल्ली में इस तरह की घटनायें न हों, क्या इसके लिये जितने गुण्डे और हत्यारे लोग यहां रहते हैं, जिनके नाम आप की लिस्ट में हैं, उनकी स्क्रीनिंग करके, उनको यहां से बाहर निकालने की कृपा करेंगे ?

श्री चरण सिंह : जब तक तहकीकात के बाद किसी अफसर का दोष साबित नहीं हो जायेगा, तब तक गवर्नमेंट का इरादा उस को मुअत्तिल करने का नहीं है, क्योंकि इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला करता है । उस जगह के इधर मकान है, उधर मकान है, वहां पर चौकीदार मौजूद था, फिर भी वह अन्दर गुस गया और यह हत्या हुई । वहां पर पुलिस वाले तैनात किये जायें, यह कैसे हो सकता है, हर मकान पर पुलिस या फौज के आदमी लगा दिये जायें, यह मुमकिन नहीं है । उसके बावजूद भी मर्डर होते रहेंगें । आज दुनिया में जो मुल्क बहुत एडवांस्ड हैं, जिनके यहां सब तरह के इक्विपमेंट्स हैं, पढ़े लिखें लोग भी हैं, फिर भी वहां क्राइम-रेट्स बनिस्बत हिन्दुस्तान के कहीं ज्यादा हैं ।

कुछ लोगों का ख्याल है कि गरीबी के कारण क्राइम्ज़ बढ़ते हैं, कुछ का ख्याल है कि इलिट्रेसी के कारण क्राइम्ज़ होते है । मैं समझता हूं—ये बातें गलत हैं । किस कारण से होते हैं—यह एक अलग सवाल है । जो मुल्क सब से ज्यादा मालदार हैं, जिनके यहां यूनीवर्सल लिट्रेसी है, उनके यहां क्राइम्ज़ ज्यादा होते हैं । अमरीका और दुसरे मुल्कों की यही हालत है, सिवाये जापान के, जहां क्राइम्ज़ बढ़ते जा रहे है । मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता हूं । जहां तक क्रिटिसिज्म का तालुक है, क्रिटिसिज्म होना चाहिये, बिना क्रिटिसिज्म के गवर्नमेंट नहीं चलेगी । लेकिन मुश्किल यह रही है कि पिछले तीस सालों में केवल एक ही पार्टी का राज रहा । अगर अन्यपार्टियों का राज भी होता तो आप में से कई लोग डिप्टी मिनिस्टर होते, मिनिस्टर होते और इतना क्रिटिसिज्म नहीं हो पाता । मुझे माफ किया जाए, यह जो 6 हजार पुलिस कर्मचारियों का सवाल उठाया गया, उसके बारे में यह तो नहीं हो सकता कि चरण सिंह ने कह दिया और वह हो गया । वह फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाएगा, हो सकता है गया हो, या हो सकता है कि होम मिनिस्ट्री तक यह मामला हो । इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि माननीय सदस्य इस कठिनाई को भी देखें । माननीय सदस्य ने सीधे-सादे तौर पर कह दिया कि वहां के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए । मैं पूछता हूं कि उनका क्या कसूर है ? अगर आपको वहां का डी० आई० जी० बिना दिया जाए फिर देखा जाए कि वहां जुर्म होता है या नहीं ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी (बहराइच) : मैं चौधरी साहब को जो उन्होंने सु र क्षा

व्यवस्था की है, उसके लिए धन्यवाद देता हूं और कहता हूं कि यह बहुत अच्छी बात है । लेकिन इसके आगें मैं जानकारी चाहूंगा कि दिल्ली की जो जनसख्या बढ़ी हुई है और बढ़ रही है जिसके कारण दिल्ली का बहुत विस्तार हुआ है, कम्बई में तो थोड़ें से दायरे में इतनी बड़ी जनसंख्या बसी हुई है, क्या सरकार यह समझती हैं कि यहां की जनसंख्या और दायरे के हिसाब से थानों की संख्या पर्याप्त है या वह कम है ? इसका सरकार ने कोई अनुमान लगाया है और लगाया है तो क्या दिल्ली में और थानों की आवश्यकता है ?

दूसरी बात यह है कि चार मई को दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा था कि दिल्ली में गुण्डागर्दी को रोकने के लिए अन्य राज्यों की तरह कानून यहां पर भी लागू करेंगे । जैसे कानून दूसरे राज्यों में इस सम्बध में बने हैं, क्या उस तरह का कानून यहां भी लागू करने के लिये बन गया है या नहीं ? क्या उसे अभी भी बनाने का विचार है या नहीं, या उसे छोड़ दिया गया है ? अगर छोड़ दिया गया है तो क्या आप इस पर पुन: विचार करेंगे ?

मैं जानता हूं कि पुलिस की सांठगांठ से भी अपराध होते हैं । क्या आप इस बात पर भी विचार करेंगे कि जिस थाने के क्षेत्र में बहुत ज्यादा अपराध होते हैं, उस थाने के इचार्ज पर या इस्पेक्टर पर कार्यवाही करने के कुछ नियम बनाए जायें जिससे उनको यह महसूस हो कि अगर उनके इलाके में क्राइम्स बढ़ते हैं तो आयन्दा उनके खिलाफ भी कार्यवाही हो सकती है ? यह बात सही है कि एक ही जगह पर बीस-बीस साल तक पुलिस आफिसर पड़े रहते हैं और उनकी गुण्डों से सांठगांठ हो जाती है । क्या आप दूसरे प्रान्तों से लेकर ऐसी व्यवस्था बनायेंगे जिससे पुलिस अधिकारियों के उनके दूसरे प्रान्तों में भी तबादले हो सकें और दूसरे प्रान्तों की पुलिस और दिल्ली की पुलिस का आपस में भी सहयोग हो ?

श्री चरण सिंह : बाद के सवाल का जवाब तो जो मैंने कहा था उसको आपने दोहरा दिया है । एरिया बढ़ेगा तभी हो सकेगा वरना दो गवर्नमेंटस का एक बोर्ड बने उत्तर प्रदेश या बिहार या राजस्थान का और एक दूसरे के यहां ट्रांसफर लें और बदले में दें वह नामुमकिन है । कोई कहेगा कि आपने यहां खराब अफसर भेजा है और आप अच्छा अफसर ले रहे हैं । पोलिटिकल यूनिट एक हो तो उसके अन्दर ट्रांसफर हो सकते हैं । दो पोलिटिकल यूनिटस होने से उसमें सौ तरह की कठिनाइयां आएंगी । वह हो नहीं सकता है ।

एंटी सोशल एलीमेंटस को कंट्रोल करने के बारे में आपने कानून की बात कही है । मैं कह चुका हूं कि बम्बई पुलिस एक्ट यहां पहले से ही नाफिज़ है । गवर्नमेंट को यह अधिकार है, ला पहले से ऐसा है कि किसी भी दूसरी स्टेट के एक्ट को यहां एप्लाई किया जा सकता है, एमेंडमेंट के साथ अगर जरूरी हो तो एप्लाई किया जा सकता है । बम्बई पुलिस एक्ट यहां नाफ़िज़ है । हमने दो अफसरों को, एक पुलिस के अफसर को और एक मैजिस्ट्रेट को बम्बई भेजा था । बम्बई में बहुत अच्छी तरह से उस पर अमल हो रहा है और उसके वहां बहुत अच्छे नतीजे निकले हैं । वे लोग स्टडी करने गए थे । तीन चार दिन रहे हैं । उसी एक्ट के मातहत अब यह कार्रवाई हो रही है जिसमें मैंने कहा है कि सौ का एक्सटर्नमेंट हो चुका है और करीब तीन सौ केसिस मैजिस्ट्रेट के सामने पैंडिंग हैं, उनको नोटिस वगैरह दिए जा रहे हैं । मैजिस्ट्रेट्स बढ़ाने की कोशिश हम करेंगे ।

जिसके हल्के में जुर्म बढ़ते हैं उनको जरूर सजा मिले ऐसा नहीं हो सकता है ।

[श्री चरण सिंह]

कोई एरिया ऐसा हो सकता है जहां जुर्म बढ़ेंगे ही । वहां भेजा ही उसको इसलिए जाता है कि वह कंट्रोल करे । बहुत काबिल, ईमानदार और सजग अफसर होते हुए भी जुर्म बढ़ सकते हैं । इस वास्ते यह रूल नहीं हो सकता है कि क्योंकि जुर्म बढ़ गये हैं इसलिए उनको सजा दे दी जाए । बहुत सी चीजों को देखना पड़ता है । कैरेक्टर रोल की एंटरीज में सब बातों का लिहाज रखना पड़ता है । जिसके इलाके में जुर्म बढ़ जाएं उसको जरूर सजा दें यह प्रैक्टिकल बात नहीं है ।

13.18 hrs.

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

FORTY-FOURTH REPORT

SHRI GAURI SHANKAR RAI (Ghazipur): I beg to present the Forty-fourth Report of the Public Accounts Committee on paragraph 29 and 52 of the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1974-75 Union Government (Civil) relating to Ministry of External Affairs.

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

THIRD REPORT

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur): I beg to present the Third Report of the Committee on Subordinate Legislation

---

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

TENTH REPORT

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): I beg to move:

"That this House do agree with the Tenth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 13th December, 1977."

MR. SPEAKER: The question is:

"That this House do agree with the Tenth Report of the Business Advisory Commitee presented to the House on the 13th December, 1977."

The motion was adopted.

13.20 hrs.

INDIAN ELECTRICITY (AMENDMENT) BILL*

THE MINISTER OF ENERGY SHRI P. RAMACHANDRAN: I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Electricity Act, 1910.

MR. SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Electricity Act, 1910."

The motion was adopted.

SHRI P. RAMACHANDRAN: I introduce the Bill.

13.21 hrs.

MATTER UNDER RULE 377

(i) FUNCTIONING OF COFFEE BOARD IN KARNATAKA

MR. SPEAKER: Now we go to matters under Rule 377....

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Sir, under Rule 377 I have raised the matter of IENS Members getting out of the Wage Board....

MR. SPEAKER, Mr. Bosu there are methods of doing it.

Now, Mr. Lakkappa.

---

*Published in Gazette of India Extraordinary Part II, Section 2, dated 14th December, 1977.